

10 Box
15/10/12
Savitri
17-10-12
Encl-9

REF: 73

Date:- 25.09.2012

To
The Registrar,
Hon'ble High Court of Allahabad,
Allahabad.
U.P (India)

16-10-12
16606
3322-1
32-31/31/12

(Through Additional District Judge Hapur/ District Judge Ghaziabad)

1508
16-10-12

Subject:- Submission of GIS and Pension & Death gratuity form of the family of deceased namely, Mohammad Suhaib Asif, Civil Judge District Judge (Senior Division) posted at Hapur, District Ghaziabad.

Respect Sir,

The husband of the applicant namely Mohammad Suhaib Asif, who was posted as a Civil Judge (Senior Division) at Hapur, District Ghaziabad, met with a Myocardial infarction at the night of 10.04.2012 and who heavenly abode us on 27.05.2012, leaving his behind the applicant, the minor child aged about 3 1/2 years and the old ailing mother aged about 65 years, as a result of which, the condition of the family of the deceased has become plight and the applicant is under debt of the friends and relatives.

So I am submitting GIS, Pension & Death gratuity form along with this letter. It is, therefore, requested to kindly consider my application to provide me pension & death gratuity & GIS to overcome the plight facing by the applicant, during the hard days, for which the applicant shall ever grateful for the same.

Thanking you.
Yours truly,

Aafiya
(Aafiya)
Wife of Late Mohammad Suhaib Asif
R/o. H.No. 9/19-S.P.D Tondon Road
Civil Lines, Allahbad, U.P
Mob. 09457480207
09910646268

Endorsement
Forwarded to
Hon'ble High Court, Allahabad

Vinod Kumar
for

JRCM)

with *Shil*

Encl.

17 OCT 2012

1. GIS, Pension & Death Gratuity Form.

Sri Sanjay H
B. Chel
31/10/12

Ref-13

सं.

No.

Form-5



.....उत्तर प्रदेश.....सरकार

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

.....स्वास्थ्य विभाग/नगरपालिका परिषद, मुन्नागर.....
(प्रमाणित जारी करने वाले स्थानीय निकाय का नाम)

DEPARTMENT OF HEALTH / NAGAR PALIKA PARISHAD.....
MUZAFFARNAGAR (Name of Local body issuing certificate)



जन्म प्रमाण - पत्र
BIRTH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम
(राज्य का नाम)
2003 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया)

संशोधित नियम को अधिपूहित किये जाने का वर्ष

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births & Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the
Uttar Pradesh Registration of Births and Deaths Rules...2003...
Name of State (Year of notifying the revised rules)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल लेख से ली गई है, जो कि (स्थानीय क्षेत्र)
मुन्नागर तहसील सदर
जिला मुजफ्फरनगर राज्य उत्तर प्रदेश के रजिस्टर में
उल्लिखित है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of
birth which is the register for (Local area/local body).....of
tahsil/blockof District ...Muzaffarnagar.....of State/Union territory
Uttar Pradesh.

नाम/Name: श्री. हनुमान आसिफ लिंग/Sex लड़का

जन्म तिथि/Date of Birth 10.12.2008 जन्म स्थान/Place of birth सिधल नर्सिंग घेम

माता का नाम/Name of Mother श्रीमती आसिफ

पिता का नाम/Name of Father श्री. सुहेब आसिफ

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता/
Address of parents at the time of birth of the child

माता पिता का स्थायी पता/
Permanent address of parents

(उपरोक्त)

9/195-PD टंडन रोड,
सिविल लाइन्स, मुल्ताहाबाद ।

पंजीकरण संख्या/Registration No. 13758

पंजीकरण दिनांक/Date of Registration 29.12.08

टिप्पणी/Remarks (if any).....

जारी करने की तिथि/Date of issue 30.04.2009

प्राधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of the issuing authority

प्राधिकारी का पता/Address of the issuing authority

जन्म / मृत्यु
नगर पालिका परिषद
मुजफ्फरनगर

मोहर/Seal

"Ensure registration of every birth and death/ प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।

Reg. 73

00118509

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

Central Board of Secondary Education

सकपडरी स्कूल परीक्षा 1995

SECONDARY SCHOOL EXAMINATION, 1995

This is to certify that **ARFIYA SULEMAN**

Roll No. **5143426** Son/Daughter of Shri **MOHD. SULEMAN**

SEVENTH JANUARY, NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY SEVEN

passed the Secondary School Examination of the Board held in March, 1995

from **HOLY ANGEL'S CONVENT SCHOOL MUZAFFARNAGAR U.P.**

in the following subjects:

1. ENGLISH COURSE 'A' 2. HINDI COURSE 'A' 3. MATHEMATICS

4. SCIENCE WITH PRACTICE 5. SOCIAL SCIENCE 6. WORK EXPERIENCE

7. PHYSICS & HEALTH EDUCATION 8. ART EDUCATION

Delhi

Dated

14-08-1995



(Signature)
परीक्षा नियंत्रक

Controller of Examinations

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

Central Board of Secondary Education

against a subject indicates that the candidate passed in the subject at the

Compartmental examination

Reg: 73

R

भाग-2

पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी के लिए प्रार्थना पत्र

विवाह/	पता
५	६

सेवा में,
Hon. Mr. Registrar General
 (कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम तथा पता)
Hon. Mr. High Court of Judicature at
Allahabad.

महोदय,

मेरा तथा मृत सरकारी सेवक का विवरण निम्नवत है। मुझे पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करने की कृपा करें।

1. मृत सरकारी सेवक का नाम Mohammad Sulais Asif
2. मृत सरकारी के पिता/पति का नाम Late Mohammad Asif Ali
3. मृत सरकारी सेवक द्वारा धारित अन्तिम पद का नाम तथा विभाग/कार्यालय का नाम एवं पता Civil Judge (Senior Division) Hafsa Civil Court, G.S.

4. क्या मृत सरकारी सेवक पेंशन पा रहा था ? NA
 यदि हाँ तो
 (क) सेवा निवृत्ति का दिनांक X
 (ख) पेंशन भुगतानादेश संख्या X
 (ग) पेंशन प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं पता X

5. प्रार्थी का
 (क) नाम Aafiya Suleman
 (ख) पिता/पति का नाम Late Mohammad Sulais Asif
 (ग) जन्मतिथि 7/1/1977
 (घ) मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध wife
Aafiya Suleman

6. मृत्यु के उपरान्त विधवा अथवा परिवार के सम्बन्धित सदस्य का पता जिसे पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जायेगी।

- (क) स्थायी निवास स्थान 9/19 SPD Fondon Road, civil line, Allahabad (U.P.)
 (ख) पत्र व्यवहार का पता do
27/5/2012

7. सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

वदीय

वक के हस्ताक्षर)

पर्युक्त विवरण सही है। मुझे रण स्वीकार कर दिया जाय। त भेदों के भुगतान की गयी धेक प्राप्त धनराशियाँ वापस क धनराशि की स्वीकृति के ति नहीं होगी और मैं अधिक सरकारी सेवक के हस्ताक्षर)

Reg: 73

(2)

8. मृत सरकारी सेवा का विवरण :

क्र० सं०	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्मतिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/ अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6
1-	Aafiyah Sulman	7/1/1977			9/19, SPD Tondon Road, civil lines Allahabad (U.P)
2-	Md. Hamam Asif	10/12/2008			
3-					
4-					
5-					
6-					

1-सरकारी/परिषदीय सेवक पदनाम तथा कार्यालय :

2-सरकारी/परिषदीय सेवक पारिवारिक पेंशन/मृत्यु तथा सरकारी/परिषदीय

3-नमूने के हस्ताक्षर

(क) सरकारी/परिषदीय होने पर करवाये

(ख) सरकारी/परिषदीय प्रार्थी के (उसके जर्ज दोनों दशाओं में व

4-यदि सरकारी/परिषदीय अथवा अन्य प्राणी अथ हस्ताक्षर करने में असम अंगूठे एवं उंगलियों के।

(क) सरकारी/परिषदीय (ख) पत्नी/पति या अन्य

5-वैयक्तिक पहचान :

(क) सरकारी/परिषदीय की ऊंचाई

(ख) सरकारी/परिषदीय पहचान चिन्ह

6-सरकारी/परिषदीय सेवक पासपोर्ट आकार में संयुक्त प्रार्थी का पासपोर्ट आकार तीन प्रतिमां दी जायेंगी। चिपकाई जायेंगी तथा ए पेंशन प्रपत्र के साथ अलग के बाहर पेंशन लेने पर जायेंगी। जिनमें से चार प्रति एक छोटे लिफाफे में से लगा दी जायेंगी।

9. कोषागार का नाम जहाँ से भुगतान अपेक्षित है

Treasure office

10. अन्तिम पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी

(क) पारिवारिक पेंशन

(ख) मृत्यु ग्रेच्युटी

Asif

(प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान)

घोषणा

Dr. Mohd. Irfan Akbari
Asst. Professorपत्नी/पति, पुत्र/पुत्री स्व० श्री
की (विभाग/कार्यालय का नाम)Mohd. S. Asif
Civil Engr, G.S.

द्वारा दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकार करते हुए या घोषित करता/करती हूँ कि यदि नियमानुसार अनुमन्य पारिवारिक तथा मृत्यु/ग्रेच्युटी से अधिक धनराशि किसी त्रुटिवश भुगतान की जाती है तो उसके पुनरीक्षण में तथा भुगतान की गयी धनराशि की वापसी से मुझे आपत्ति न होगी।

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1- नाम DR. MOHD IRFAN AKBARI
पदनाम ASSOCIATE PROFESSOR
पता FACULTY OF DENTISTRY
JAMIA MILLIA ISLAMIA NSW DELHI-25

2- नाम
पदनाम
पता

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

उपर्युक्त साक्षी यथासम्भव उसी कार्यालय में कार्यरत होने चाहिए जहाँ मृतक कर्मचारी कार्यरत था। अन्य स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी साक्षियों के सम्बन्ध में अपने विवेक से निर्णय लेंगे।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
तथा पदनाम

(3)

भाग-3

Late Mohd. S. Asif

1-सरकारी/परिषदीय सेवक का नाम
पदनाम तथा कार्यालय का नाम2-सरकारी/परिषदीय सेवक की मृत्यु की दशा में
पारिवारिक पेंशन/मृत्यु ग्रन्थ्युटी हेतु प्रार्थी का नाम
तथा सरकारी/परिषदीय सेवक के सम्बन्ध

3-नमूने के हस्ताक्षर

(क) सरकारी/परिषदीय सेवक के (उसके जीवित
होने पर करवाये जायेंगे)(ख) सरकारी/परिषदीय सेवक की पत्नी/पति या
प्रार्थी के (उसके जीवित रहने अथवा मृत्यु होने
दोनों दशाओं में करवाये जायेंगे)4-यदि सरकारी/परिषदीय सेवक या उसकी पत्नि/पति
अथवा अन्य प्राणी अंग्रेजी, हिन्दी अथवा उर्दू
हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो दायें अथवा बायें
अंगूठे एवं उंगलियों के निशान(क) सरकारी/परिषदीय सेवक के
(ख) पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के

5-वैयक्तिक पहचान :

(क) सरकारी/परिषदीय सेवक/पारिवारिक पेंशनर
की ऊंचाई(ख) सरकारी/परिषदीय सेवक/पारिवारिक पेंशनर के
पहचान चिन्ह6-सरकारी/परिषदीय सेवक की पत्नी/पति के साथ
पासपोर्ट आकार में संयुक्त फोटो। मृत्यु की दशा में
प्रार्थी का पासपोर्ट आकार में अपना फोटो)फोटो की
तीन प्रतियां दी जायेंगी जिसमें से दो फार्मस पर
चिपकाई जायेंगी तथा एक प्रति एक छोटे लिफाफे में
पेंशन प्रपत्र के साथ अलग से लगा दी जायेंगी। प्रदेश
के बाहर पेंशन लेने पर पांच प्रतियां प्रस्तुत की
जायेंगी। जिनमें से चार फार्मस पर तथा पांचवी
प्रति एक छोटे लिफाफे में पेंशन प्रपत्र के साथ अलग
से लगा दी जायेगी।

Smt. Aafiza

1-.....

2-.....

3-.....

1-.....

2-.....

3-.....

त/	पता
हित	
	6

हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान)

/करती हूँ कि यदि नियमानुसार
ही है तो उसके पुनरीक्षण में तथा

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

र्मचारी कार्यरत था। अन्य स्थिति

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

तथा पदनाम



सत्यापित

Page: 73

4

(5)

भाग - 4

सेवा का इतिहास

सरकारी सेवक का नाम

क्रमांक	कब से कब तक (केवल दिनांक दिये जायें)	पद का नाम जिस पर कार्य किया (स्थान सहित अवकाश, असाधारण अवकाश निलम्बन, प्रोन्नति, पदव्यति, प्रतिनियुक्ति व्यवधान की अवधियाँ भी इंगित की जायें)	स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी अवधि का प्रकार	यदि कोई अवधि पेंशन- युक्त नहीं तो कारण सहित उसका विवरण दिया जाये।
1	2	3	4	5

हस्ताक्षर

(कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं पता)

(5)

भाग - 5

कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग हेतु

- 1- सरकारी/परिषदीय सेवक का नाम
- 2- सरकारी/परिषदीय सेवक की जन्म तिथि
- 3- सेवा में आने का दिनांक
- 4- सेवानिवृत्ति का दिनांक

वर्ष	मास	दिन
------	-----	-----

- 5- कुल अवधि (4-3)
- 6- सैन्य सेवा जो पेंशन के लिये अर्ह है की अवधि
- 7- अन्य सेवा (यदि कोई हो) जिसे पेंशन हेतु अर्ह माना गया ।
- 8- पेंशन अनर्ह सेवा
 - (क) 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की सेवा
 - (ख) सेवा में विच्छेद
 - (ग) पेंशन के लिये अनर्ह निलम्बन की अवधि
 - (घ) कोई अन्य सेवा जो पेंशन हेतु अनर्ह हो (कारण सहित उल्लेख किया जाये)

योग

वर्ष	मास
------	-----

- 9- पेंशन हेतु अर्ह सेवा की कुल अवधि (5+6+7-8)
- या छमाहियां

- 10- पेंशन का प्रकार प्रतिकार/अशक्तता/रिटायरिंग/अधिवर्षता

- 11- सेवा निवृत्ति के दिनांक को मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित वेतन

- 12- औसत परिलब्धियां का आगणन

Reg: 73

(6)

अन्तिम दस मास में प्राप्त परिलब्धियाँ

धारित पद	से दिनांक	तक दिनांक	परिलब्धियों नियम नियम 9 (21) (1) में परिभाषित	अन्य
1	2	3	4	5
			योग (स्तम्भ—4 का + 10 रूप)	
14- सर्विस ग्रेच्युटी का आगणन (पेंशन अर्ह सेवा 10 वर्ष से कम होने पर पेंशन के स्थान पर अनुमन्य)			
15- सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी का आगणन			
16- सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि से कटौती (यदि कोई हो)			
17- शुद्ध सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की धनराशि			
18- पारिवारिक पेंशन का आगणन (क) सामान्य दर (ख) 7 वर्ष की सेवा के उपरान्त मृत्यु की दशा में दिनांक से प्रतिमाह तथा दिनांक से रूप			
19- पेंशन पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने का दिनांक			
20- पेंशन का भाग अथवा धनराशि जिसका राशिकरण अनुमन्य है।			

- 21—राशिकृत मूल्य का आगणन
- 22—राशिकरण के उपरान्त 3
- 23—क्रोधागार का नाम ज
अथवा मृत्यु ग्रेच्युटी /
आहरित किये जायेंगे
- 24—अन्तिम पेंशन/पारिवारिक
(यदि कोई स्वीकृत की)
- 25—अन्तिम सेवानिवृत्ति/मृत
(यदि कोई स्वीकृत की)
- 26—पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण व
दिनांक
(यह तिथि सेवा निवृत्ति
(1) भवन निर्माण में
शेष नहीं है।
(2) मोटरकार/बोट
की धनराशि से
(3) किसी अन्य प्रकार
शेष नहीं है।
(4) सरकारी भवन
किराये के रूप
तक रु०
(5) बाडिट के परि
(6) विभागीय अथ
धनराशि देय
(7) अन्य पदों में
धनराशि देय
(8) श्री
न्यायिक/वैभां
(यदि लम्बित है तो
एवं धनराशि

Ref: 73

7
6

(7)

अन्य

5

- 21—राशिकृत मूल्य का आगणन
- 22—राशिकरण के उपरान्त अनुपस्थ पेंशन की धनराशि
- 23—कोषागार का नाम जहाँ से पेंशन/सेवा निवृत्त
अथवा मृत्यु प्रेच्युटी / राशिकरण के भुगतान
आहरित किये जायेंगे
- 24—अन्तिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन
(यदि कोई स्वीकृत की गई हो)
- 25—अन्तिम सेवानिवृत्ति/मृत्यु प्रेच्युटी
(यदि कोई स्वीकृत की गई हो)
- 26—पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात्
दिनांक
- (यह तिथि सेवा निवृत्ति के ठीक आठ माह की होनी चाहिये) तक
- (1) भवन निर्माण में से रु० की धनराशि देना शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।
 - (2) मोटरकार/मोटरसाईकिल/मोपेड आदि अग्रिम में से रु० की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।
 - (3) किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से रु० की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है।
 - (4) सरकारी भवन में आवास करने हेतु दिनांक तक रु० की धनराशि किराये के रूप में अवशेष है/कोई धनराशि अवशेष नहीं है तथा सेवा निवृत्ति के दिनांक तक रु० और देना शेष रह जायेगा।
 - (5) आडिट के परिणाम स्वरूप रु० की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।
 - (6) विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणाम स्वरूप रु० की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।
 - (7) अन्य पदों में (मद स्पष्ट की जाय) रु० की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है।
 - (8) श्री (सरकारी/परिवर्दीय सेवक का नाम) के विरुद्ध न्यायिक/वैभांगिक अथवा प्रशासनाधिकरण जांच लम्बित नहीं है/है।
- (यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण, जैसे सरकार/परिवद को वित्तीय हानि पहुंचाई गई हो तो उसका आधार एवं धनराशि अथवा यदि गम्भीर दूराचरण के बोधी हों तो उसका विवरण दिया जाये।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा पद नाम

Reg: 73

(9)

4- उपरोक्त सरकारी/परिषदीय सेवक द्वारा सेवानिवृत्ति के दिनांक तक उपर्युक्त सभी धनराशियों का भुगतान कर दिया गया है/निम्न धनराशियाँ शेष है :-

1- भवन निर्माण अग्रिम	रु०
2- मोटर/मोटरसाईकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम	रु०
3- किसी अन्य प्रकार का अग्रिम	रु०
4- सरकारी आवास से सम्बन्धित देय धनराशि	रु०
5- आडिट के परिणामस्वरूप देय धनराशि	रु०
6- विभागीय अथवा अन्य कर्मचारी के परिणामस्वरूप देय धनराशि	रु०
7- अन्य मदों (मद स्पष्ट की जाये) के अन्तर्गत देय धनराशि	रु०
	योग

8- उपरोक्त सरकारी/परिषदीय सेवक के विरुद्ध सेवानिवृत्ति के दिनांक को लम्बित न्यायिक/वैभागीक जाँच की स्थिति निम्नवत है :-

5- उपरोक्त सरकारी/परिषदीय सेवक को कार्यालय आदेश संख्या..... दिनांक..... (जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गयी है) द्वारा रु०..... की अन्तिम पेंशन प्रतिमास तथा संख्या..... दिनांक..... द्वारा रु०..... की धनराशि अन्तिम सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के रूप में स्वीकृत की जा रही है/चुकी है।

आपसे अनुरोध है कि आप उपर्युक्त सरकारी/परिषदीय सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी से उपरोक्त प्रस्तर-4 में सेवानिवृत्ति/मृत्यु के दिनांक को देय कुल रु०..... की कटौती करके तथा अन्तिम पेंशन एवं सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करके अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय,

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

दिनांक.....

संख्या

प्रतिलिपि :

1. कोषाधिकारी/अधिशाली अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित की वे उपर्युक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी से उपरोक्त प्रस्तर-4 के अनुसार कटौती करके (यदि ऐसी कटौती मुख्य/उपमुख्य लेखाधिकारी/निदेशक पेंशन, के स्तर से सूचित न की गई हो) अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें : यदि उपर्युक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ऐसी धनराशि का भुगतान पहले से ही किया जा चुका हो तो अपने स्तर पर उसके सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करके ग्रेच्युटी की शेष धनराशि अवमुक्त कर दें।
2. श्री..... (पेंशनर का नाम)..... को सूचनार्थ प्रेषित।
(पूर्ण पता).....

भवदीय,

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

This Deed of Inde
corresponding to S
By Sri.....
Resident of.....
Uttar Pradesh (ca

1. The Bounded
Pradesh (Ca
in.....
2. The Bounded
3. A 'No dema
by.....
but the said
that purpose

The Govern
on condition
indemnity an
may incur by
of two years

Now this de

1. In considerat
the Bounded
hereby cover
to the Govern
years from t
2. Any amount
shall be fina
arrears of la

In witness to
signed here

The stamp

Witness:

1.

2.

Ref: 73

संलग्नक-2

This Deed of Indemnity is made on the.....day of.....20.....
corresponding to Saka Samvat theday of.....
20.....By (1).....By (1) Srimati/.....W/o,
 S/o Late Sri..... R/o..... (Bounden I) and (2) II
 (Jointly called the "Boundens" IN FAVOUR OF THE GOVERNOR OF UTTAR PRADESH (called
 "the Governor")

Whereas :

1. Late Sri. Mohammed Subaib Ansari was in the service of the Government of Uttar Pradesh (called the "Government") as civil judge (Senior Division) (designation) in Meerut (name of office).
2. Late Sri. Mohammed Subaib Ansari (called "deceased") died on 27/5/2012 and family pension and death-cum-retirement gratuity is to be sanctioned to his family.
3. Bounden I is the.....(relationship with deceased) [and Bounden II is the.....(relationship with deceased) and is/are entitled to the family pension and gratuity.
4. A 'No demand certificate' is required to be issued in regard to the deceased.....before sanction of family pension, gratuity etc. to the Bounden but the said certificate could not be issued do far and serutiny of records for the purpose is likely to take further time.
5. The Government is willing to sanction family pension and gratuity etc. to the Bounden on condition that the Bounden shall execute a bond, being the presents to idemaity and save harmless the Government from any loss which the Government may incur by reason of any moneys found due against the deceased within a period of two years from the date of his death.

Now this deed witnesses that:-

1. In consideration of Government agreeing to sanction family pension and gratuity etc. to the Bounden before issue of 'No demand certificatfe' the Bounden hereby covenants (if necessary) (Jointly and severally covenant), with the Governor that the Bounden shall pay on demand to the Government all money which may be discovered to be due against the deceased within a period of two years from the date of his death subject to a maximum of the amount of gratuity and family pension paid to the Bounden.
2. Any amount due under this deed may, on the certificate of.....which shall be final conclusive and binding on the Bounden, be recorded from her/him/them as arrears of land revenues.

In wites to the above written bond and the conditions there of the bounden has/ have signed hereunder on the day and year first above written.

The stamp duty on this instrument will be borne by the Government.

Witness
 1. Mohd Yousaf Ansari

Signed
[Signature]
 Bounden I

Address

2.
 Address

Bounden II

* If necessary.